



Case No.101/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/ATY-2854/HR/3/2025-RU-IV

श्री पार्थ गुप्ता
जिलाधीश,
जिला - यमुनानगर,
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
एनएच 73, हुडा, जगाधरी,
यमुनानगर, हरियाणा 135003
ई :मेल-dcynr@hry.nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **31/10/2025** को **11:40 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1
- (i) बलात्कार एवं शारीरिक प्रताड़ना के संबंध में शिकायतसुश्री अनामिका कोरवा -, पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा, निवासीमाझगांव -, थानाडुमरी-, जिलाका (झारखंड) गुमला- दिनांक10.07.2025 का पत्र।
 - (ii) NCST Notice dated 19.08.2025

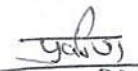
यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **22/10/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।



मोहर

हस्ताक्षर


22/10/25

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003